न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,सीकर

पीठासीन अधिकारीः— प्रकाश चन्द्र चौधरी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या :—61/16/अपील

रामलाल पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी ग्राम राजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 नौरंगलाल पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी ग्राम राजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

2 पटवारी पटवार हल्का दिसनाउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

3 गिरदावर, गिरदावर हल्का बलांरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

4 तहसीलदार महोदय, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व नामान्तकरण संख्या 678 दिनांकित 16.01.2013 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़

वकील अपीलान्ट श्री राजकुमार राड़

निर्णय दिनांकः— **18.01.2017**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम राजपुर तहसील लक्ष्मणगढ़ की खातेदारी संवत् 2013 से 2016 में अपीलांट के पिता हरदेवा व हरदेवा के भाई भाना के नाम दर्ज थी तथा हरदेवाराम की मृत्योपरांत उनकी खातेदारी अपीलांट रामलाल के नाम दर्ज हुई। आराजी खसरा नम्बर 12, 116, 130, 194, 203 व 207 कुल किता 6 कुल रकबा 17.97 है0 तन राजपुर खातेदारों की सहमति के आधार पर बटंवारानामा पेश करने पर खसरा नम्बर 194 रकबा 0.18 है0 की खातेदारी रामलाल पुत्र हरदेवाराम के नाम होनी थी लेकिन सहवन से उसमें अन्य खातेदारों का नाम भी दर्ज हो गया। अपीलांट द्वारा बटंवारा प्रस्ताव पर पटवारी हल्का के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने पर अपीलांट रामलाल के अलावा अन्य काश्तकारों के नाम बटंवारानामा से हटा दिये गये। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 678 दिनांक 13.01.2013 में सहवन से अपीलांट रामलाल के साथ रेस्पो. संख्या 01 नौरंगलाल का नाम भी दर्ज हो गया।

आराजी खसरा नम्बर 194 रकबा 0.18 है0 की खातेदारी अपीलांट के पूर्वजो की रही है तथा वर्तमान में अपीलांट का कब्जा काश्त व मकानात बनाकर आवास निवास करता आ रहा है। बटंवारानामा के सलंग्न नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 194 की खातेदारी अपीलांट रामलाल के नाम से है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 678 दिनांक 13.01.2013 को खसरा नम्बर 194 रकबा 0.18 है0 की हद तक निरस्त कर रेस्पो. संख्या 01 नौरंगलाल के नाम गलत रूप से बनी खातेदारी को निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलांट को सुना गया। ...म दृष्टा प्रकरण तकनीकि व लीपिकीय त्रुटि का प्रतीत होता है। विभाजन तहसीलदार ...ारा तस्दीक किया गया है जिसमें एक स्थान पर की गई कटिंग से विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हुई है। यह कटिंग कब व किन परिस्थितियों में की गई है तथा यह सद्‌भावी भूल सुधार के लिए है अथवा नहीं, इसकी जांच तहसीलदार द्वारा मौके पर कब्जा–काश्त व पक्षकारान की सुनवाई के आधार पर की जानी चाहिए। अतः अपील त्रुटि के अपलेखन की सीमा तक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह मूल विभाजन प्रलेख में की गई कटिंग की युक्ति युक्त जांच करने के उपरांत अपने निर्णय को तद्‌नुसार संशोधित करे।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अति॰ जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर